NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

TELEGRAPH, Kolkata, 27.1.2024
Page No. 3, Size:(3.12)cms X (13.47)cms.

NHRC notices on orphanage 'torture'

R. BALAJI

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a news report on the alleged torture of children at an orphanage in Madhya Pradesh's Indore with branches in Jodhpur, Surat, Calcutta and Bangalore and issued notices to the respective state governments.

According to the report, children aged between four and 14 years were subjected to torture at the orphanage in Indore and the police have registered an FIR in the matter on a complaint by the Child Welfare Committee (CWC).

The NHRC has observed that the contents of the news report, if true, amounted to a serious violation of human rights. It noted "that taking lawful action, an FIR has been registered by the police at Indore, but the matter has inter-state ramification. Therefore, an enquiry/ inspection of the other branches of the orphanage, situated outside Indore is also necessary".

Accordingly, the NHRC has issued notices to the chief secretaries and the directors-general of police of Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Bengal and Karnataka, calling for action-taken reports within four weeks.

Supreme Court stays Meghalaya High Court directive to pay ₹10-15 lakh compensation for custodial deaths

https://www.barandbench.com/news/supreme-court-stays-meghalaya-high-court-order-compensation-custodial-deaths

The High Court had stressed incidents of custodial deaths were a slur on civilised society, and fixed amounts ranging between ₹10-15 lakhs as compensation for such incidents.

The Supreme Court recently stayed a Meghalaya High Court ruling that had ordered for compensation of up to ₹10-15 lakhs to be paid by the State government in cases of custodial deaths [State of Meghalaya vs Killing Jana and ors].

A bench of Justices BR Gavai, Sanjay Karol and Sandeep Mehta issued notice on an appeal by the Meghalaya government, adding that a response should be filed in four weeks.

"Until further order(s), the impugned judgment and order passed by the High Court shall remain stayed, subject to condition that the compensation as determined by the National Human Right Commission (NHRC) shall be paid by the petitioner (State government)," the bench directed in an order passed on January 22.

In August last year, the Meghalaya High Court had remarked that custodial deaths of prisoners would stop only when the compensation amount for such violence is pegged at a level where the State would bleed to make the payment.

This judgment was pronounced in a suo motu case. In a strongly-worded judgment, the High Court expressed its distress over the number of deaths of under-trial prisoners at the hands of investigating authorities who used third-degree methods to get information.

That High Court observed that such excesses by the State through its police personnel may result in admissions that are inaccurate and only made to avoid or delay further torture.

Pertinently, the High Court had refused to accept the "Haryana Model" of compensation that has been endorsed by the National Human Rights Commission (NHRC) in such cases.

Compensation paid to victims has to be both adequate for the families of the victims and such as to act as a deterrent so that the State and its officials remain in check, the High Court added.

It explained that the amount should be one that the State is not happy to pay off, with the bench led by then Chief Justice Sanjib Banerjee stressing that incidents of custodial death are a slur on civilised society.

Therefore, it proceeded to fix the compensation amounts ranging between ₹ 10-15 lakhs as compensation to be paid by the State to victims of custodial violence.

Where the victim is above 45 years of age, the compensation to be paid by the State to the kin of the victim was fixed at ₹10 lakhs. For those in the age group of 30 to 45 years, the compensation to be paid should be ₹12 lakhs, the High Court added.

For victims of custodial deaths below 30 years, the amount fixed was ₹ 15 lakhs.

This led to the instant appeal filed by the Meghalaya government before the Supreme Court.

Before the apex court, Advocate General Amit Kumar of Meghalaya with advocates Avijit Mani Tripathi, Rekha Bakshi, Aditya Shankar Pandey, Shaurya Sahay, Himanshu Sehrawat, Upendra Mishra, and PS Negi represented the State of Meghalaya.

NHRC raises alarm over news report on alleged torture of children at orphanage in Indore

https://www.telegraphindia.com/india/national-human-rights-commission-raises-alarm-over-report-on-alleged-torture-of-children-at-orphanage-in-indore/cid/1996400

The National Human Rights Commission has observed that the contents of the news report, if true, amounted to a serious violation of human rights

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a news report on the alleged torture of children at an orphanage in Madhya Pradesh's Indore with branches in Jodhpur, Surat, Calcutta and Bangalore and issued notices to the respective state governments.

According to the report, children aged between four and 14 years were subjected to torture at the orphanage in Indore and the police have registered an FIR in the matter on a complaint by the Child Welfare Committee (CWC).

The NHRC has observed that the contents of the news report, if true, amounted to a serious violation of human rights. It noted "that taking lawful action, an FIR has been registered by the police at Indore, but the matter has inter-state ramification. Therefore, an enquiry/ inspection of the other branches of the orphanage, situated outside Indore is also necessary".

Accordingly, the NHRC has issued notices to the chief secretaries and the directors-general of police of Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Bengal and Karnataka, calling for action-taken reports within four weeks.

कौन थीं सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड बनाने वालीं जज फातिमा बीवी ?

https://www.agniban.com/who-was-judge-fatima-beevi-who-made-the-record-in-the-supreme-court/

नई दिल्ली (Mew Delhi)। साल 2024 में पद्म पुरस्कार हासिल करने वालों में 132 नाम शामिल हैं। इनमें एक नाम बीते साल नवंबर में दुनिया को अलविदा कह गईं एम फातिमा बीवी (M Fatima Biwi) का भी शामिल है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट (HC) की पहली महिला जज होने का कीर्तिमान हासिल है। हालांकि, वह सिर्फ शीर्ष न्यायालय की ही पहली महिला जज नहीं थीं, बल्कि बार काउंसिल में गोल्ड मेडल जीतने वाली भी पहली महिला थीं।

कौन थीं जस्टिस फातिमा बीवी

30 अप्रैल 1927 में केरल के पाथनमिट्टा में जन्मीं फातिमा बीवी को कामयाब वकील और जज बनाने में पिता अन्नावीतिल मीरन साहिब का बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि उनके पिता उन्हें वकील बनते देखना चाहते थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कानून में डिग्री हासिल की और नवंबर 1950 में वकील बन गईं।

इससे पहले उनकी शुरुआती शिक्षा कैथोलिकेट हाई स्कूल से हुई है। उन्हें स्नातक की पढ़ाई तिरुवनंतपुरम के यूनिवर्सिटी कॉलेज से केमिस्ट्री में की थी।

उन्होंने एडवोकेट के तौर पर केरल में करियर की शुरुआत की। इसके बाद साल 1974 में जिला एवं सत्र न्यायालय में जज बनीं। साल 1980 में उन्होंने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्युनल का रुख किया और साल 1983 में उच्च न्यायालय की जज बनीं। इसके बाद साल 1989 इतिहास में दर्ज हो गया और वह सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज के तौर पर नियुक्त हो चुकी थीं।

शीर्ष न्यायालय में वह इस पद पर 29 अप्रैल 1992 तक रहीं। हालांकि, रिटायरमेंट के बाद भी फातिमा बीवी ने काम की रफ्तार को धीमा नहीं किया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनीं। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु की राज्यपाल का भी दायित्व संभाला था, जो खासा विवादों में रहा।

उनका सबसे विवादित फैसला राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान माना जाता है। दरअसल, उन्होंने साल 2001 में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद जयललिता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। खास बात है कि उस साल TANSI भूमि मामले में दोषी पाए जाने के चलते उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थीं, जिन्हें इस बार मिला पद्म भूषण, कई और रिकॉर्ड हैं नाम

https://hindi.news18.com/news/knowledge/fatima-biwi-received-padma-bhushan-who-was-first-woman-judge-of-supreme-court-padma-awards-8019605.html

पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है. इस साल 132 लोगों को सम्मानित किया जाएगा. पद्म पुरस्कारों में तीन वर्ग पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री होते हैं. पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा. उनके अलावा बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री वैजयंतीमाला, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और अभिनेता चिरंजीवी को भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. वहीं, बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. बता दें कि पद्म पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में सरकार इन पर विचार कर सकती है. पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले 17 लोगों में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम भी शामिल है.

सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनने का गौरव फातिमा बीवी को हासिल है. इसके अलावा उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं. वह उच्च न्यायपालिका में पहली मुस्लिम महिला भी थीं. इसके अलावा एशियाई देशों में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली भी पहली महिला थीं. उन्होंने 1950 में कानून की डिग्री हासिल करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा दी. वह इस परीक्षा में टॉप करने वाली पहली महिला भी थीं. उन्हें बार काउंसिल का स्वर्ण पदक भी मिला था. उनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को केरल के पथनमथिट्टा में सरकरी कर्मचारी अन्नावीतिल मीरा साहिब और खडेजा बीबी के घर हुआ था.

फातिमा बीवी के पिता अन्ना चांडी से थे प्रभावित

फातिमा बीवी ने 1943 में पथनमथिट्टा के कैथोलिकेट हाईस्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम के यूनिवर्सिटी कॉलेज से बी.एससी. करके गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की. उनके पिता अन्नावीतिल मीरा साहिब भारत की पहली महिला जज और फिर देश के किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला जज बनने वाली जस्टिस अन्ना चांडी से काफी प्रभावति थे. इसलिए उन्होंने फातिमा बीवी को भी कानून की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया. फातिमा बीवी ने 1950 में कानून की डिग्री हासिल कर ली. उन्होंने 14 नवंबर 1950 को केरल में निचली अदालत में काम शुरू किया.

ज्यूडिशरी में महिलाओं की कमी पर जताई चिंता

साल 1958 में फातिमा बीवी ने केरल अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं में मुंसिफ की नौकरी शुरू की. वह 1983 में केरल हाईकोर्ट की जज बन गईं. इस दौरान उन्होंने दंगा और हत्या समेत कई सत्र और दीवानी मुकदमों की सुनवाई की. वह 6 अक्टूबर 1986 को केरल हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हो गईं. इसके छह महीने के भीतर वह सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गईं. एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि 'मैंने दरवाजा खोल दिया है.' उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की राह खुल गई है. उन्होंने न्यायपालिका और खासकर उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर चिंता जताई थी.

ज्यूडिशरी में महिला आरक्षण की थीं पक्षधर

फातिमा बीवी उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण की पक्षधर थीं. उनका मानना था कि आरक्षण मिलने पर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं उच्च न्यायपालिका का हिस्सा बनेंगी. उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कई सक्षम महिलाएं मौजूद हैं. ऐसी सक्षम महिलाएं हैं, जिनकी नियुक्ति पर विचार हो सकता है. फातिमा बीवी 1992 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गईं. इसके बाद उन्होंने 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और केरल पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के तौर पर काम किया.

राजीव गांधी के हत्यारों की दया याचिका की खारिज

वह 25 जनवरी 1997 को तमिलनाडु की राज्यपाल नियुक्त की गईं. उन्होंने राज्यपाल के तौर पर राजीव गांधी हत्याकांड में चार दोषियों की दया याचिका को खारिज कर दिया था. वहीं, 2001 में उन्होंने अन्नाद्रमुक महासचिव जयललिता को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया था. उनके इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी. दरअसल, तब जयललिता को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था.

कई अवार्ड्स की सम्मानित हुई थीं फातिमा बीवी

हालांकि, बाद में फातिमा बीवी ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जजों से बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया था. मामला तूल पकड़ा तो फातिमा बीवी ने इस्तीफा दे दिया. फातिमा बीवी को 1990 में डी लिट और महिला शिरोमणि पुरस्कार मिला था. उन्हें भारत ज्योति पुरस्कार और यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. अब उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में अप्राकृतिक मौतों के लिए मुआवजा राशि तय करने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/supreme-court-takes-suo-moto-cognizance-of-order-passed-by-single-bench-of-calcutta-hc-which-ignored-division-benchs-stay-on-cbi-probe-247711?infinitescroll=1

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके तहत 2012 से हिरासत में हुई मौतों के लिए सरकार द्वारा देय दंडात्मक मुआवजे की मात्रा पीड़ितों की उम्र के आधार पर तय की गई थी।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस शर्त के साथ फैसले पर रोक लगा दी कि राज्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करेगा।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

1382 जेलों में पुन: अमानवीय स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, मेघालय हाईकोर्ट द्वारा उन कैदियों के निकटतम रिश्तेदारों की पहचान करने के लिए स्वत: संज्ञान जनहित याचिका शुरू की गई, जिनकी (NCRB द्वारा खुलासा) 2012 और 2015 के बीच और उसके बाद भी राज्य हिरासत में अप्राकृतिक मौत हो गई थी, राज्य उचित मुआवजा प्रदान करें।कार्यवाही के दौरान, यह सामने आया कि 2012 से मेघालय में 53 हिरासत में मौतें हुई , जिनमें से 25 प्राकृतिक कारणों से थीं और बाकी (यानी 28) अप्राकृतिक मौत के मामले थे। मई, 2022 में NHRC द्वारा यह सिफारिश की गई कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिरासत में हिंसा और मौत के मामलों में पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों को मुआवजे के लिए नीति बनाएं।

NHRC की सिफारिश के बाद दिसंबर, 2022 में मेघालय सरकार ने अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें अप्राकृतिक हिरासत में होने वाली मौतों के लिए मुआवजा राशि इस प्रकार निर्धारित की गई: कैदियों के बीच झगड़े के कारण, या पुलिस / जेल कर्मचारियों द्वारा यातना / पिटाई के कारण - 7.5 लाख रुपये, और जेल अधिकारियों या मेडिकल/पैरा मेडिकल अधिकारियों द्वारा लापरवाही के कारण, या कैदी द्वारा आत्महत्या- 5 लाख रुपये।इसे अपर्याप्त पाते हुए हाईकोर्ट ने अधिसूचना रद्द कर दी और फैसला सुनाया कि राज्य सरकार को 30 वर्ष से कम उम्र के पीड़ित के निकटतम रिश्तेदार को (मृत्यु की तिथि पर) 15 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। यदि पीड़ित की आयु 30 से 45 वर्ष के बीच है तो 12 लाख रुपये की राशि, और यदि पीड़ित की आयु 45 वर्ष से अधिक है तो 10 लाख रुपये की राशि।

इससे व्यथित होकर, मेघालय राज्य ने वर्तमान याचिका दायर की।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने पाया कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एनएचआरसी की सिफारिश जून, 2021 में हरियाणा सरकार की अधिसूचना से पहले की गई, जिसके तहत हिरासत में होने वाली मौतों के मामलों में देय मुआवजे

की दरों को मृत्यु के कारण के आधार पर वर्गीकरण बनाकर अधिसूचित किया गया। यह राय दी गई कि NHRC ने बिना किसी टिप्पणी या स्वतंत्र विचार के हरियाणा अधिसूचना का समर्थन किया।

हरियाणा अधिसूचना में अपनाया गया वर्गीकरण (मृत्यु के कारण के आधार पर) अदालत को पसंद नहीं आया और मात्रा निर्धारण को स्पष्ट रूप से "अचेतन" करार दिया गया। यह माना गया कि "उपयुक्त" मुआवज़ा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित करने का निर्देश दिया गया, प्रतिपूरक और दंडात्मक दोनों होना चाहिए, जिससे निवारक के रूप में कार्य किया जा सके।हालांकि, राज्य ने हिरासत में कुछ मौतों को "अप्राकृतिक" के रूप में वर्गीकृत करने का विरोध किया, लेकिन अदालत ने अपना मूल्यांकन इस मानदंड पर आधारित किया कि यदि किसी व्यक्ति की राज्य की हिरासत में मृत्यु हो गई और राज्य सकारात्मक रूप से यह स्थापित करने में असमर्थ रहा कि मौत प्राकृतिक कारणों के कारण हुई थी तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृत्यु अप्राकृतिक थी।

इसने आगे कहा कि पहले के मामले में यानी मीना एस मराक बनाम मेघालय राज्य (2018), जहां पुलिस की बर्बरता के परिणामस्वरूप 18 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो गई थी, 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। राज्य ने उस राशि को स्वीकार कर लिया और उसका भुगतान भी कर दिया। तदनुसार, यह राय दी गई कि 5 वर्षों के बाद मात्रा को कम करने का कोई कारण नहीं था।

कोर्ट ने कहा,"यदि पुलिस की बर्बरता और हिरासत में व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहार को गिरफ्तार करना है तो हिरासत में मौत के लिए मुआवजे को उस स्तर पर आंका जाना चाहिए, जहां राज्य भुगतान करने के लिए खून बहाएगा; न कि वह जो राज्य भुगतान करने में खुश है।"सख्त दायित्व के सिद्धांत पर राज्य की निर्भरता को कम कर दिया गया, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे मामलों में राज्य का दायित्व पूर्ण था, जब तक कि यह नहीं दिखाया गया कि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी।अदालत ने टिप्पणी की,"हिरासत में मौत सभ्य राज्य पर कलंक है।"मेघालय राज्य का मामलाअपनी याचिका में राज्य का दावा है कि हाईकोर्ट ने अपने व्यक्तिपरक मूल्यांकन के आधार पर राज्य द्वारा मुआवजे के भुगतान के लिए इन-रेम नियम तय करने में गलती की। साथ ही राज्य की नीति में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, जिसे विशेषज्ञ निकाय यानी NHRC की सिफारिशों के मद्देनजर तैयार किया गया।इसका तर्क है कि मीना मराक का मामला मुआवजे की मात्रा पर मिसाल नहीं है। वास्तव में, उस मामले में विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च मुआवजा दिया गया, क्योंकि पीड़ित युवा स्टूडेंट को बिना एफआईआर के गिरफ्तारी के बाद हिरासत में प्रताड़ित किया गया था।राज्य मुआवजे के दावों से निपटने के लिए अदालत द्वारा आयु मानदंड को अपनाने पर विवाद करता है, यह बताते हुए कि इसे मोटर दुर्घटनाओं के मुआवजे के दावों में अपनाया जाता है।याचिका में कहा गया,"माननीय हाईकोर्ट इस बात को समझने में विफल रहा कि हिरासत में मौत के लिए मुआवजा मृतक के जीवन के नुकसान के लिए दिया जा रहा है, न कि मृतक की उसके परिवार के लिए भविष्य की कमाई क्षमता के नुकसान के लिए।"राज्य का यह भी तर्क है कि यदि कोई अदालत विशेष मामले में उपयुक्त पाई जाती है तो वह अधिक मुआवजा दे सकती है। हालांकि, कार्यकारी नीति के अस्तित्व के बावजूद, मुआवजा तय करने वाला कोई इन-रेम आदेश नहीं हो सकता है, जिसे अदालत मनमाना नहीं मानती है।राज्य का यह भी दावा है कि हाईकोर्ट NHRC की सिफारिश के पीछे के तर्क पर विचार करने में विफल रहा, यानी राज्य पर कोई पूर्ण

दायित्व नहीं है। बल्कि, यह राज्य अधिकारियों द्वारा अनुचित कृत्यों/चूक के परिणामस्वरूप होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों तक ही सीमित है (प्रतिस्पर्धी दायित्व और दोष सिद्धांत के सिद्धांतों पर आधारित)।याचिकाकर्ता (राज्य) के वकील: एडवोकेट जनरल अमित कुमार; एओआर अविजीत मणि त्रिपाठी; रेखा बख्शी, आदित्य शंकर पांडे, शौर्य सहाय, हिमांशु सहरावत, उपेंद्र मिश्रा और पीएस नेगी।